न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –32/2018

दायर दिनांक – 29.06.2018

निर्णय दिनांक – 20.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2018/00026

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती पारस देवी पत्नी श्री भंवर लाल वर्मा जाति नायक निवासी मकान नं. जी–69, माकड़वाली रोड़, वैशालीनगर अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री एन. एस. राजावत, अधि0, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम किशनपुरा गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा नंबरान 1418 रकबा 09–12–00 बीघा एवं 1419 रकबा 08–17–00 बीघा से बने नवीन खसरा नंबरान 2024 रकबा 0.92 है0, 2024/2210 रकबा 0.01 है0, 2026 रकबा 0.63 है0, 2027 रकबा 1.43 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.99 है0 को वर्किंग राजस्व मानचित्र के अनुसार दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1921 दिनांक 21.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि **''ग्राम गोयला के खसरा नंबर 2024 रकबा 0.92 है0, 2024/2210 रकबा 0.01 है0, 2025 रकबा 0.63 है0, 2027 रकबा 1.43 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.99 है0 पारस पत्नी भंवरलाल जाति नायक के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर के वर्किंग खसरा नंबर 1418 व 1419 है। प्रार्थीया द्वारा हाल राजस्व मानचित्र में वर्किंग राजस्व मानचित्र के अनुसार दुरूस्ती करवाना चाहती है। उक्त खसरा नंबर का वर्किंग राजस्व मानचित्र का हाल राजस्व मानचित्र करने पर मिलान नहीं होता है। वर्किंग मानचित्र के अनुसार दुरूस्ती करने पर आसपास के समस्त खातेदार प्रभावित होते है साथ ही खसरा नंबर 2026 जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है वह भी प्रभावित होता है। दोनों मानचित्रों का मिलान करने पर उक्त खसरा नंबर के पास से गुजर रहे गै0मु0रास्ता तथा गै0मु0नाला का भी मिलान नहीं हो रहा है। और ना ही दोनों मानचित्र का मिलान करने से सरहद का मिलान होता है। वादी के खसरों के मानचित्र में दुरूस्ती करने पर अन्य खातेदारों के खसरों के मानचित्र प्रभावित होते है। अतः वादी को अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।''**

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के **वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर 2024 रकबा 0.92 है0, 2024/2210 रकबा 0.01 है0, 2025 रकबा 0.63 है0, 2027 रकबा 1.43 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.99 है0 का वर्किंग राजस्व मानचित्र का हाल राजस्व मानचित्र करने पर मिलान नहीं होता है तथा दोनों मानचित्रों का मिलान करने पर उक्त खसरा नंबर के पास से गुजर रहे गै0मु0रास्ता तथा गै0मु0नाला का भी मिलान नहीं हो रहा है। वर्किंग मानचित्र के अनुसार दुरूस्ती करने पर आसपास के समस्त खातेदार प्रभावित होते है (ख0नं0 2026 अजमेर विकास प्राधिकरण का राजकीय हित प्रभावित हो रहा है)। प्रार्थी के खसरों के मानचित्र में दुरूस्ती करने पर अन्य खातेदारों के खसरों के मानचित्र प्रभावित होते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhdev Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 2024 रकबा 0.92 है0, 2024/2210 रकबा 0.01 है0, 2025 रकबा 0.63 है0, 2027 रकबा 1.43 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.99 है0 का वर्किंग राजस्व मानचित्र का हाल राजस्व मानचित्र करने पर मिलान नही होने तथा वर्किंग मानचित्र के अनुसार दुरूस्ती करने पर आसपास के समस्त खातेदार प्रभावित होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

20-10-21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested